न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 64 / 2020 **दायर दिनांक :** 31.07.2020

मै. ड्रीम सिटी एन.एच. 15/62 नजदीक मानकसर सर्किल ग्राम मानकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंग़ानगर जरिये पार्टनर्स।

..........**प्रार्थी**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

..........**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः

1. श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषक प्रार्थी सं. 1
2. नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ पैरोकार राजस्थान सरकार।

निर्णय **दिनांक :** 31.07.2020

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारों के अभिभाषक उपस्थित है, संक्षेप में विचारण तथ्य पत्रावली इस प्रकार से है कि प्रार्थी फर्म मै. ड्रीम सिटी के नाम से है जिसमें पूर्ण फर्म के पार्टनर (सहदायी सदस्य) है जिसमें पार्टर्नस (1) रमनदीप पुत्र श्री राधेश्याम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड न. 14 वाईट हाउस सूरतगढ़ (2) साहिल गुप्ता पुत्र श्री हीरालाल गुप्ता जाति गुप्ता निवासी वार्ड न. 14 नीयर आन्नद टिम्बर स्टोर्स सूरतगढ़ (3) अंकित गुप्ता पुत्र श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता जाति गुप्ता निवासी वार्ड न. 14 सूरतगढ़ (4) पवन कुमार बाघला (5) सतीश बाघला पुत्र श्री नागरमल बाघला जाति अरोड़ा निवासी 2/231 वार्ड न. 7 आर.एच.बी. कॉलोनी सूरतगढ़ (6) संदीप डांग पुत्र श्री केवल कृष्ण डांग जाति अरोड़ा निवासी आदर्श कॉलोनी वार्ड न. 9 सूरतगढ़ (7) सुखवंत चावला पुत्र श्री हरप्रीत सिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी बसंत विहार कॉलोनी वार्ड न. 28 सूरतगढ़ (8) बसंत दीप सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी बसंत विहार कॉलोनी वार्ड सं. 28 सूरतगढ़ (9) विकास चुघ पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जाति अरोड़ा निवासी वार्ड न. 7 आर.एच.बी कॉलोनी सूरतगढ़ पार्टनर्स है ने इस अदालत में अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए. 1955 यह कथन करते हुए प्रस्तुत किया कि मै. ड्रीम सिटी एन.एच. 15/62 नजदीक मानकसर सर्किल ग्राम मानकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के नाम से तहसील सूरतगढ़ के गांव मानकसर ख.न. 249/1 में 1.455 है. (नमान्तरण सं. 200) ख.न. 251 में 1.044 है. (नामान्तरण संख्या 199) व ख.न. 251 में 1.043 है. (नामान्तरण संख्या 202) जो कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2064 ता 2067 खाता संख्या 4, 14 से साबित है इस अंकन अनुसार प्रार्थी फर्म के नाम ग्राम मानकसर तहसील सूरतगढ़ में खसरा न. 251 का

लगातार पेज 2 पर......

2.087 है. भूमि अंकित है, इस भूमि में आवागमन हेतू किसी प्रकार का रास्ता स्वीकृत नहीं है, अंकित भूमि तक आवागमन हेतू रास्ते की अत्यांतिक आवश्यक है पूर्व में कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है। खसरा नम्बर 251 गॉव मानकसर तक आवागगन हेतू इस भूमि से चिपते हुए खसरा नम्बर 252 के 0.645 है. रकबा राज भूमि है ओर इस रकबा राज भूमि के चिपते हुए हनुमानगढ़ मानकसर रोड़ बनी हुई है जो खसरा नम्बर 252 के दक्षिण पासा में चिपती पड़ती है इसी रोड़ से खसरा नम्बर 252 से होते हुए खसरा नम्बर 251 तक पहूँचा जा सकता है। प्रार्थी संख्या 1 खसरा नम्बर 252 की भूमि के पश्चिम पासा में उत्तर से दक्षिण 30 फुट चौड़ाई का रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार रकम जमा कराने को तैयार है प्रस्तावित रास्ता की भूमि शुद्ध रकबा राज है वर्तमान में किसी प्रकार का कोई विवाद/स्थगन आदेश से प्रभावित नहीं है, वर्तमान में भी इसी प्रस्तावित रास्ता से अपने नाम से अंकित खातेदारी भूमि में आते जाते है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई जो कि पत्रावली के संलग्न है, रिपोर्ट में भी प्रस्तावित रास्ते को स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई।

बाद आने रिपोर्ट पत्रावली व पक्षकारान की उपस्थिती होने पर पत्रावली में तर्क सुने गये प्रार्थी की ओर से योग्य अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए साक्ष्य की सहायता से प्रार्थना पत्र को पूर्णतया पुष्ट होना बताते हुए निवेदन किया कि रिपोर्ट तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपनी अनुशंसा में यह स्पष्ट अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा किया गया प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त ग्राम मानकसर खसरा नम्बर 251 हेतू वैकल्पिक रास्ता स्वीकृत नहीं है, ओर खसरा नम्बर 252 में खसरा नम्बर 251 तक रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है, यह भी दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन कराकर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से ग्राम मानकसर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 251 में अंकित भूमि 2.087 है. भूमि को पुष्ट होना बताया एवं निवेदन किया कि इस भूमि हेतू आवागमन के लिये मौका पर हनुमानगढ़ मानकसर फोर लेन के उत्तर पासा में खसरा नम्बर 252 की भूमि चिपती पड़ती है। ग्राम मानकसर तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 1 के खसरा नम्बर 252 में अंकित 0.645 है. रकबा राज में से 30 फुट पश्चिम पासा में उत्तर ता दक्षिण 2.10 बीघा लम्बाई में हनुमानगढ़ मानकसर फोर लेन सड़क से चिपते खसरा नम्बर 252 से खसरा नम्बर 251 तक आवागमन हेतू स्वीकृत कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने की प्रार्थना की गई। इस हेतू प्रार्थी द्वारा निर्धारित रास्ते में आई भूमि की कीमत नियमानुसार जमा कराने की स्वीकृति दी। विद्वान पैरोकार राज द्वारा राज्य हित को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तहसील के अनुसरण में आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई।

तर्क सुनने के पश्चात पत्रावली का तर्कों के परिपेक्ष्य में ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया एवं पाया दस्तावेज अंकन अनुसार प्रार्थी के अंकित भूमि वाके ग्राम मानकसर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 251 में आने जाने के लिये कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता पूर्ण रूप से सिद्ध होती है रास्ते में आयी भूमि के नियमानुसार प्रार्थी रकम जमा कराने को तैयार है, धारा 251(क) के तत्व पूर्ण रूप से इस मामले प्रभावकारी सिद्ध होते है।

लगातार पेज 3 पर.....

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम मानकसर हनुमानगढ़ फोर लेन के चिपता राजकीय भूमि खसरा नम्बर 252 में 0.645 है. भूमि रकबा राज में से 30 फुट पश्चिम पासा में उत्तर ता दक्षिण 2.10 बीघा लम्बाई में हनुमानगढ़ मानकसर फोर लेन सड़क से चिपते खसरा नम्बर 252 से खसरा नम्बर 251 तक आवागमन हेतू रास्ताव स्वीकृत किया जाता है रास्ते में आयी भूमि की राशि राजकीय निर्धारण अनुसार तहसीलदार सूरतगढ़ जमा करवाकर रास्ते का अंकन आदेश की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में करें। उक्त आदेश की पालना हेतू तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को पत्र लिखा जावें।

हुक्म सुनाया गया पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

31-07-2020

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.08.18 16:38:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: